



उत्तरांचल ग्रामीण बैंक

समस्त सीबीएस शाखाओं के साथ उत्तराखण्ड का तीसरा बड़ा बैंकिंग
नेटवर्क

प्रधान कार्यालय, 18, न्यू रोड़, देहरादून।

फोन: 0135-2710660, 2710661, फैक्स: 0135-2710662

भवनपति द्वारा अपना भवन बैंक को किराये पर देने हेतु आवेदन

टेक्नीकल प्रस्ताव

1. भवन स्वामी / स्वामिनी का नाम
2. पिता का नाम—
3. पता:
4. किराये पर दिये जाने वाले भवन का विवरण—
 - (अ) भवन का पता:
 - (ब) जिस भूमि पर भवन बना है, क्या उसका शीर्ष विलेख (**Title Deed**) उपलब्ध है?—
 - (स) भवन की स्थिति—यदि नगर पालिका क्षेत्र में हो तो उल्लेख करें—
 - (द) भवन स्वामी द्वारा नगर पालिका व अन्य संस्थाओं को अदा किये जाने वाले करों का विवरण—
 - (1) किराये पर दिये जाने वाले भाग का कुल क्षेत्रफल—
(भवन का नक्शा भवन स्वामी से हस्ताक्षर कराकर संलग्न किया जाय)
कुल कमरों की संख्या व उनके क्षेत्रफल का अलग-अलग विवरण —
 - (2) मुख्य सड़क से भवन की दूरी—
 - (3) मुख्य बाजार से भवन की दूरी—
(वर्तमान में मुख्य बाजार का विस्तार भवन की किस दिशा में हो रहा है
टिप्पणी संक्षिप्त टिप्पणी दी जाय)
 - (4) क्या भवन पक्का है?, यह कितने वर्ष पुराना है, विवरण दिया जाय—

(5) अ) भवन में प्राकृतिक प्रकाश की स्थिति—

ब) क्या विद्युत प्रकाश हेतु परिसर में पृथक मीटर लगाया गया है ?—
(नवीनतम तिथि के विद्युत बिल की प्रति संलग्न की जाये)

(6) क्या भवन में जल संयोजन हेतु पृथक मीटर सहित उपलब्ध है ?—
(नवीनतम तिथि के जलमूल्य बिल की प्रति संलग्न की जाये)

(7) क्या भवन में शौचालय सुविधा उपलब्ध है तथा नियमित जलापूर्ति उपलब्ध है ।

(8) क्या भवन अथवा भवन तक सम्पर्क मार्ग में कोई वैधानिक विवाद है ?—

(य) क्षेत्र में किराये की प्रति वर्ग फुट सरकारी दर—

(र) क्षेत्र में किराये की प्रचलित दर— आस पास अन्य शासकीय / अशासकीय संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले किराये का विवरण एवं उनके द्वारा अधिगृहीत क्षेत्रफल का विवरण—

(ल) भवन के आस—पास अन्य शासकीय / अशासकीय संस्थाओं का विवरण

परिसर स्वामी द्वारा निम्न विवरण पर अपनी सहमति / अपनी आख्या दी जाये ।

5. अन्य: मैं अपना भवन निम्न शर्तों के अधीन बैंक उपयोग हेतु देने को सहर्ष तैयार हूँ—

अ) नगर पालिका व अन्य संस्थाओं द्वारा लगाये जाने वाले करों यथा भवन कर, जलकर, सीवेज कर आदि को मेरे द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा एवं मीटर रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल एवं जल मूल्य बिलों की अदायगी बैंक शाखा द्वारा की जायेगी ।

ब) प्रथम पांच वर्ष हेतु भवन किराये पर दिया जायेगा एवं तत्पश्चात् पांच—पांच वर्षों की दो अवधियों के लिये लीज का नवीनीकरण किया जायेगा । प्रत्येक 5 वर्ष बाद बैंक को 15 प्रतिशत किराया वृद्धि करनी होगी ।

स) लीज—डीड निष्पादन का 50 प्रतिशत व्यय मेरे द्वारा वहन किया जायेगा ।

द) बैंक परिसर के रखरखाव जैसे सफेदी, डिस्टेम्पर रंग रोगन मरम्मत आदि का कार्य समय—समय पर (कम से कम तीन वर्ष में एक बार) मेरे द्वारा किया जायेगा तथा बैंक के निर्देशानुसार सहयोग पूर्ण रवैया अपनाऊँगा ।

य) बैंक की सुविधा के अनुसार जहाँ जरूरी हो अपने भवन में आवश्यक परिवर्तन के लिये भी तैयार हूँ । जिसमें मुख्य रूप से फर्श पर 2 गुणा 2 की **Vetrified** टाइल्स, मुख्य प्रवेश द्वार पर शटर, ग्रिल, शीशा सहित एल्युमिनियम का दरवाजा तथा बैंक की सुरक्षा हेतु खिड़कियों में ग्रिल एवं जाली लगाने हेतु सहमत हूँ ।

र) बैंक द्वारा आवश्यकतानुसार जेनरेटर सेट लगाने के लिये उचित स्थान की निःशुल्क व्यवस्था है तथा उसके चलने से आस—पड़ोस के किसी भी व्यक्ति को एतराज होने पर मैं उत्तरदायी होऊँगा ।

- ल) परिसर में वांछित जगह पर वी-सेट लगाने के लिये निःशुल्क अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराऊँगा।
- व) बैंक द्वारा किराये पर लिये जाने वाले भाग में भविष्य में परिवर्तन या स्वयं का अथवा अन्य बैंक के साथ मिलकर एटीएम इत्यादि लगाने के लिये किये जाने वाले परिवर्तन या पुर्ननिर्माण पर मुझे आपत्ति नहीं होगी।
- श) परिसर में दीमक उन्मूलन, सीलन आदि का कार्य अपने व्यय पर कराकर दूँगा।
- स) यदि किराये की राशि पर टी0डी0एस0 वांछित हो, तो कर की कटौती हेतु मैं बैंक को अधिकृत करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर व नाम
(भवन स्वामी/स्वामिनी)
पता:

वित्तीय प्रस्ताव

मैं अपना भवन निम्न शर्तों / किराये की दर पर बैंक को उपलब्ध कराने हेतु सहमत हूँ।

(भवन स्वामी अपनी वित्तीय शर्तें अलग से दें।)